प्राक्कथन

1. संविधान के अनुच्छेद–151 के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के पहले और दूसरे अध्याय में अप्रैल 2001 से मार्च 2002 तक की अवधि के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे की जॉच से उत्पन्न मामलों पर लेखा परीक्षा टिप्पणीयॉ सम्मिलित है।

3. शेष अध्याय लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा जल संसाधन विभाग सहित विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखा परीक्षा तथा लेन देनों की लेखा परीक्षा निष्कर्षो के सम्बंध में है।

4. इस प्रतिवेदन के अध्याय 5 में विभिन्न कर विभागों में राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा से उदभूत टिप्पणियॉ सम्मिलित हैं।

5. इस प्रतिवेदन के अध्याय 6 में '' प्राधिकरण एवं निकायों को वित्तीय सहायता'' की लेखा परीक्षा से उदभूत टिप्पणियॉ सम्मिलित हैं।

6. इस प्रतिवेदन के अध्याय 7 में शासन की वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियों की लेखा परीक्षा से उदभूत टिप्पणियॉ सम्मिलित है।

7. प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2001–2002 की अवधि के दौरान लेखाओं की नमूना जॉच के समय ध्यान में आए और वह भी जो पूर्ववर्ती वर्षो में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था। वर्ष 2001–2002 के पश्चात् की अवधि से सम्बन्धित प्रकरण भी आवश्यकतानुसार इसमें सम्मिलित किए गए हैं।